

I
A
S



P
C
S

THE TIMES OF INDIA

FRONTLINE

Prelims Capsule

प्रमुख अंग्रेजी अखबारों से...

THE TIMES OF INDIA

THE HINDU

The Indian EXPRESS

bridge terror

Corp. Office:-

629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph.: - 011-27658013, 7042772062/63

वेब पोर्टल परिवेश की शुरुआत

बिजनेस स्टैण्डर्ड/इकॉनॉमिक टाइम्स
(11 अगस्त)

संदर्भ-

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर परिवेश (इंटरएक्टिव, वर्चुअल और एनवायरमेंटल सिंगल-विंडो हब द्वारा प्रो-एक्टिव और उत्तरदायी सुविधा) लॉन्च किया।
- परिवेश एक एकल खिड़की एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली है।
- इसे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई डिजिटल भारत की भावना और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सार को सिद्ध करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
- इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से तकनीकी सहायता के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा डिजाइन, विकसित किया गया है।
- परिवेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के ई-शासन के सपने को पूरा करने का प्रयास किया गया है।

लाभ-

- केंद्र, राज्य और जिला स्तर के विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के लिये (पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय क्षेत्र स्वीकृतियाँ) आवेदन जमा करने, आवेदनों की निगरानी और मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों का प्रबंधन करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है।
- 'परिवेश' की एक महत्वपूर्ण विशेषता सभी प्रकार की स्वीकृतियों के लिये एकल पंजीयन है।

नीति आयोग ने द्वीपों के समग्र विकास के लिए निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया

बिजनेस स्टैण्डर्ड/PIB
(10 अगस्त)

संदर्भ

- हाल ही में नीति आयोग ने संघ शासित प्रदेश प्रशासन के साथ द्वीप समूह के समग्र विकास के लिए प्रवासी भारतीय केंद्र में निवेशकों के सम्मेलन की मेजबानी की।
- इस सम्मेलन का उद्घाटन नीति आयोग के सीईओ, अमिताभ कांत ने किया।
- इसने अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों में पारिस्थितिक पर्यटन परियोजनाओं के सतत विकास के लिए निवेश आकर्षित किया।
- 11 एंकर पर्यटन परियोजनाओं को उपयुक्त जोखिम-साझाकरण मॉडल के तहत निजी खुले प्रतिस्पर्धा और खुली प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जाएगा।

लक्ष्य

- अंडमान-निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों का सतत और पर्यावरण अनुकूल विकास सुनिश्चित करना।
- द्वीपों के सतत विकास और समग्र नौबहन विकास को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है।
- इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में समग्र विकास के लिए अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के 10 द्वीपों को शामिल किया गया है।



लोकसभा में पारित हुआ जन प्रतिनिधित्व
(संशोधन) विधेयक, 2017

द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस
(8 अगस्त)

संदर्भ-

- हाल ही में लोकसभा ने प्रवासी भारतीय मतदाताओं की परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 को मंजूरी दे दी है।
- इस बिल के द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किया जायेगा।

उद्देश्य-

- इस विधेयक का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा प्रदान करना है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के द्वारा लोक सभा व विधानसभा चुनावों के लिये सीटों के बंटवारे तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की व्यवस्था की गयी है।

नया क्या है?

- इस अधिनियम में मतदाता की योग्यता और इलेक्टोरल रोल को तैयार करने की व्यवस्था भी की गयी है।
- इस अधिनियम के अनुसार किसी निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों को मतदाता सूची में पंजीकृत किये जाने की व्यवस्था है।
- इस अधिनियम में सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिये प्रॉक्सी वोटिंग की व्यवस्था है।

क्या है प्रॉक्सी वोटिंग?

- इस बिल के अनुसार यदि कोई व्यक्ति देश के बाहर कार्यरत है, तो वह या तो स्वयं मतदान कर सकता है, या फिर वह अपने जीवनसाथी (पति या पत्नी) के द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट दे सकता है।
- इस प्रकार किसी प्रतिनिधि द्वारा वोट देने को प्रॉक्सी वोटिंग कहा जाता है।

अन्य तथ्य

- वर्तमान में लगभग एक करोड़ से अधिक भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, इनमें से लगभग 60 लाख लोग योग्य मतदाता है।
- विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार दिये जाने के बाद वे लोग भी चुनाव में मतदान कर सकते हैं।
- इसके लिये भारत आने की आवश्यकता नहीं है।
- पंजाब, केरल और गुजरात से बड़ी संख्या में लोग विदेश में कार्यरत हैं।

सेंट्रल रेशम बोर्ड (सीएसबी)

द हिन्दू (12 अगस्त)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सेंट्रल रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने कोकून की उत्पादकता में वृद्धि और सिरीकल्चर अर्थात् रेशम उत्पादन में लगे किसानों की आय बढ़ाने के लिए शहतूत और वान्या रेशम की प्रजातियों को अधिसूचित किया है।



- सीएसबी द्वारा विकसित उष्णकटिबंधीय तसार सिल्कवॉर्म (बीडीआर -10) प्रजाति का पारंपरिक दबा नस्ल की तुलना में 21% अधिक उत्पादकता है।

लाभ-

- किसान प्रति 100 रोग मुक्त अंडों (डीएफएलएस) में 52 किलोग्राम कोकून प्राप्त कर सकते हैं।
- इस रेशम के कीड़े की नस्ल झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के जनजातीय किसानों की मदद करेगी।
- रेशम के कीड़े की मल्टीवोल्टिन एक्स बिबोल्टाइन शहतूत हाइब्रिड (पीएम एक्स एफसी 2) प्रजाति 60 किलो प्रति 100 डीएफएल का उत्पादन कर सकती है और यह प्रजाति पीएम एक्स सीएसआर से बेहतर है।
- उच्च गुणवत्ता वाले रेशम और महत्वपूर्ण अंडे की वसूली के कारण, यह दौड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र के किसानों के लिए उपयुक्त है।

महत्व-

- कोकून की उत्पादकता में वृद्धि के लिए विशिष्ट कृषि-जलवायु स्थिति के लिए रेशम के कीड़े की नस्लों की आवश्यकता है।
- हाल ही में अधिसूचित रेशम की प्रजातियों ने किसानों की आय में अपनी बढ़ी उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया है।

केंद्रीय सिल्क बोर्ड-

- केंद्रीय सिल्क बोर्ड (सीएसबी) 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहा है।



परिवहन मंत्रालय बैटरी संचालित वाहनों के पंजीकरण चिह्न के लिए रंग को चिन्हित किया

टाइम्स ऑफ़ इंडिया/इकॉनॉमिक टाइम्स
(10 अगस्त)

संदर्भ

- हाल ही में परिवहन मंत्रालय बैटरी संचालित वाहनों के पंजीकरण चिह्न के लिए रंग को चिन्हित किया है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रभाव के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन अधिसूचित किया है।



- नियमों के अनुसार, सभी बैटरी संचालित वाहन अब परिवहन वाहनों के लिए हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग के रंग में अपना पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करेंगे।
- अन्य सभी मामलों के लिए, हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में।
- इस पर मई में जनता से आपत्तियों और सुझावों की मांग की थी।

तीन तलाक विधेयक में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी

लाइव मिनट/बिजनेस स्टैण्डर्ड/द हिन्दू
(10 अगस्त)

संदर्भ-

- हाल ही में तीन तलाक पर लंबे समय से जारी बहस के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित विधेयक के प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
- इसके तहत भी यह गैर-जमानती ही रहेगा, पर मजिस्ट्रेट से ऐसे मामलों में जमानत मिल सकेगी।

पृष्ठभूमि-

- दिसंबर में, लोकसभा ने मुस्लिम महिला (संरक्षण विधेयक, 2017) पारित की, जो तालक-ए- बिद्दत प्रथा को अपराधी बनाती है।

- 22 अगस्त, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया की तीन तलाक असंवैधानिक है।

तीन तलाक में किये गये तीन संशोधन

जमानत के लिए प्रावधान :

- एक गैर जमानती अपराध के तहत, पुलिस स्टेशन पर पुलिस द्वारा जमानत नहीं दी जा सकती है।
- मजिस्ट्रेट आरोपी की पत्नी की बातें सुनने के बाद ही जमानत दे सकता है। लेकिन प्रस्तावित कानून के तहत ट्रिपल तलाक का अपराध गैर-जमानती ही है।
- मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि पति को तभी जमानत मिलेगी जब वो अपनी पत्नी को मुआवजे देने के लिए सहमत होगा।
- बिल के अनुसार, मुआवजे की मात्रा मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाएगी।



दुरुपयोग की जांच-

- यह संशोधन स्पष्ट करता है कि जब पीड़िता (पत्नी), उसके ब्लड रिलेशन या उनके विवाह के आधार पर उनके रिश्तेदार बनने वाले लोग एफआईआर दर्ज करेंगे पुलिस इसे दर्ज करेगी।

एक संयोजनीय अपराध-

- तीसरा संशोधन ट्रिपल तालाक को संयोजनीय अपराध बनाता है।
- अब, एक मजिस्ट्रेट पति और पत्नी के बीच विवाद को सुलझाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है।
- एक संयोजनीय अपराध के तहत, दोनों पक्षों को मामले को वापस लेने की स्वतंत्रता है।

ट्रिपल तलाक

इस्लाम में तलाक के तीन रूप हैं:

1. अहसान
 2. हसन
 3. तालक-ए-बिद्दत (ट्रिपल या तत्काल तालाक)।
- अहसान और हसन निरस्त करने योग्य हैं; लेकिन बिद्दत अपरिवर्तनीय है।
 - बिद्दत को पापपूर्ण माना जाता है लेकिन इस्लामी कानून में इसे अनुमति है।



1. हाल ही में चर्चा में आये 'परिवेश' के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है?
 - (a) यह एक एकल खिड़की एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली है।
 - (b) इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया की भावना और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सार का सिद्ध करना है।
 - (c) इससे केंद्र, राज्य और जिला स्तर के विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के लिए, आवेदन जमा करने, आवेदनों की निगरानी आदि प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है।
 - (d) उपर्युक्त सभी
2. हाल ही में नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया निवेशक सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
 - (a) संघ शासित प्रदेश प्रशासन के साथ द्वीप समूह के समग्र विकास के लिए
 - (b) राज्यों में किसानों की आय दोगुना करने से
 - (c) राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में अवसरचर्चात्मक विकास के लिए
 - (d) देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार से
3. जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. इस विधेयक का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्राक्सी मतदान की सुविधा प्रदान करना है।
 2. इस अधिनियम में मतदाता की योग्यता और इलेक्टोरल रोल को तैयार करने की व्यवस्था भी की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2 दोनों
 - (d) न तो 1 और न ही 2
4. हाल ही में सेंट्रल सिल्क बोर्ड की चर्चा में आने का निम्नलिखित में से क्या कारण है?
 - (a) सेंट्रल रेशम बोर्ड द्वारा सिरीकल्चर में लगे किसानों की आय बढ़ाने के लिए शहतूत और वान्या रेशम की प्रजाति को अधिसूचित करने के कारण।
 - (b) सेंट्रल रेशम बोर्ड को भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण से हटाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन करने के कारण।
 - (c) इस बोर्ड को राज्य सरकार के अधीन कर दिए जाने के कारण।
 - (d) इस बोर्ड को समाप्त करने के कारण।
5. हाल ही में बैटरी संचालित वाहनों के लिए पंजीकरण चिह्न के लिए निर्धारित रंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है?
 - (a) हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में प्रदर्शित पंजीकरण चिह्न
 - (b) हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में प्रदर्शित पंजीकरण चिह्न
 - (c) काले रंग की पृष्ठभूमि पर हरे रंग में प्रदर्शित पंजीकरण चिह्न
 - (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
6. तीन तलाक विधेयक में हुए संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
 1. इसमें गैर जमानती अपराध के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन पर पुलिस द्वारा जमानत नहीं दी जा सकती है।
 2. इस विधेयक में संशोधन के माध्यम से तीन तलाक को संयोजनीय अपराध घोषित किया गया है।
 3. तीन तलाक से पीड़ित व्यक्ति (महिला), इसके रक्त संबंधी या विवाह के आधार पर रिश्तेदार बनने वाले लोग ही एफआईआर दर्ज करा सकेंगे।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से सही उत्तर चुनिए-

 - (a) 1 और 2
 - (b) 2 और 3
 - (c) केवल 3
 - (d) 1, 2 और 3

नोट-

12 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संबंधित प्रश्न) का उत्तर 1. (b), 2. (c), 3. (a), 4. (b), 5. (c), 6. (c) होगा।